



2026:AHC:50350

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9199 वर्ष 2026

खुशबू सिंह

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	अभिषेक कुमार सरोज, रतनेश कुमार, सत्य प्रकाश सरोज
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विरोधी पक्ष आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील भदोही, जिला भदोही को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत दायर केस संख्या 7755 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या टी202416670507755) (भुआल सिंह और अन्य बनाम खुशबू सिंह और अन्य) का शीघ्रता से निपटारा करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह मामला काफी लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है, और काफी समय बीत चुका है; परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के

WRIC क्रमांक 9199 / 2026

2

साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील भदोही, जिला भदोही, उपर्युक्त अपील पर कानून के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें परंतु ऐसा करते समय जब तक कोई कानूनी बाधा न हो अनावश्यक स्थगन(ADJOURNMENT) न दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

पी.पी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।